(10

संख्या 12/1/88-वेतन-I

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त, 1989

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- आयोग द्वारा चयन से भर्ती के तरीके द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि में कार्यरत उम्मीदवारों के वेतन निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में मौजूदा नियमों/आदेशों के अनुसार वेतन का संरक्षण उन उम्मीदवारों को दिया जाता है जिन्हें यदि ऐसे उम्मीदवार सरकारी सेवा में हों, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन द्वारा भर्ती की विधि से नियुक्त किया जाता है । वेतन का ऐसा संरक्षण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों विश्वविद्यालयों, अर्द्ध-सरकारी संस्थानों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को जब वे सरकारी सेवा में इस प्रकार नियुक्त होते हैं, नहीं दिया जाता है । इसके परिणामस्वरूप, सरकार के लिए गैर-सरकारी संगठनों में उपलब्ध प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ले पाना संभव नहीं हो पाया है ।

2. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि से भर्ती किए गए उम्मीदवारों के मामले में वेतन का संरक्षण कैसे दिया जाए इससे संबंधित प्रश्न कुछ समय से सरकार का ध्यान आकर्षित किए हुए है । मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और राष्ट्रपति ने अब यह निर्णय लिया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विश्व-विद्यालयों, अर्ध-सरकारी संस्थानों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों के संबंध में जिन्हें, एक उपयुक्त रूप से गठित अभिकरण, जिसमें सीधी भर्ती करने वाले विभागीय प्राधिकारी सम्मिलित हैं के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती वालों के रूप में नियुक्त किया जाता है । उनके प्रारंभिक वेतन का निर्धारण पद से संबद्ध वेतनमान के उस स्तर में किया जाए जिससे कि सरकारी कार्यालय में स्वीकार्य वेतन तथा महंगाई भत्ता उनके मूल संगठनों में उनके द्वारा पहले से ही लिए जा रहे वेतन तथा महंगाई भत्ते का संरक्षण कर सके । उस पद पर ऐसा स्तर जिस पर उनकी भर्ती की गई है उपलब्ध न होने की स्थिति में उनका वेतन उस पद के वेतनमान में जिस पर उनकी भर्ती की गई है, के ठीक निचले स्तर पर निर्धारित किया जाए, ताकि उम्मीदवारों को होने वाली न्यूनतम हानि सुनिश्चित की जा सके । इस नियम के अंतर्गत निर्धारित वेतन उस पद के जिस पर उनकी भर्ती की गई है वेतनमान के अधिकतम से अधिक नहीं होगा । वेतन का निर्धारण नियोक्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऐसे संगठनों

...2/-

//

में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी न्याय-संगत दस्तावेजों का सत्यापन जाने के पश्चात् किया जाएगा ।

3. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं ।

4. ये आदेश उस महीने की पहली तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसमें यह कार्यालय ज्ञापन जारी किया जाएगा ।

(ई0के0 श्रीधरन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग इत्यादि ।

2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली को उनके दिनांक 8-10-87 के पत्र संख्या एफ. 6/2(1)/87-आर0 (सी0एण्ड पी0) के संदर्भ में ।

अनुबंध

दृष्टान्त I:

सरकारी सेवा में रु0 3000-100-3,500-125-4500 के वेतनमान में नियुक्त किए जाने वाला रु0 2550/- मूल वेतन तथा रु0 1016.55 महंगाई भत्ते सहित रु0 2450-100-2750 के वेतनमान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का अधिकारी:

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में

मूल वेतन:		रु0 2550/-
महंगाई भत्ता:		रु0 1016.55
तदर्थ राहत:		रु0 840/-
	कुल-	रु0 4406.55

सरकारी कार्यालय में वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

I		II	III
मूल वेतन	रु0 3000/-	रु0 3500/-	रु0 3625/-
महंगाई भत्ता	रु0 690	रु0 805	रु0 805
23%	3690	रु0 4305	रु0 4430

अत: वतन केन्द्रीय सरकार में उनकी नियुक्ति पर रु0 3500 निर्धारित किया जाएगा ।

दृष्टान्त- II

केन्द्रीय सरकार में रु0 4100-125-4850-150-5300 के वेतनमान में नियुक्त किया जाने वाला रु0 3,100 के मूल वेतन तथा रु0 1,016.55 महंगाई भत्ते सहित रु0 3000-100-3700 के वेतनमान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का अन्य अधिकारी:

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में

मूल वेतन		रु0 3100/-
महंगाई भत्ता:		रु0 1016.55
तदर्थ राहत:		रु0 1080/-
	कुल	रु0 5196.55

/3

केन्द्रीय सरकार में वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

I	II	III
मूल वेतन रु0 4100·00	रु0 4350·00	रु0 4475·00
महंगाई भत्ता		
17% रु0 697	रु0 739·50	रु0 760·75
रु0 4797·00	रु0 5089·50	रु0 5235·75

अतः केन्द्रीय सरकार में नियुक्ति पर वेतन रु0 4350/- निर्धारित किया जाएगा ।